निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 31/अपील 14(4)/18 तारिख दायराः 09.10.2018

उनवान

फूलचन्द आ0 भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी गुराडखेड़ा तहसील झालरापाटन

बनाम

01. रेखा बाई पुत्री देवलाल जाति हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन
02. बीनाबाई पुत्री देवलाल जाति हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन
03. रानीबाई पुत्री देवलाल जाति हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन
04. पार्वतीबाई पुत्री देवलाल जाति हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन
05. कमलाबाई पत्नी देवलाल जाति हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन
06. आवंटन परामर्श दात्री समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स

उपस्थितः– श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलान्ट
श्री सुरेन्द्र सिंह पवांर अभिभाषक रेस्पो0 1,4 व 5 की और से
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 22.07.2019

यह अपील भू आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 29.01.1980 जिसके द्वारा आवंटी देवलाल आ0 नन्दा हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन को ग्राम गुराडखेड़ा की आराजी ख0न0 398 की 04 बीघा भूमि का आवंटन किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेमों में निवेदन किया गया कि आंवटित आराजी पर आवंटी को कोई कब्जा नही दिया गया और ना ही आंवटी द्वारा कभी अपने जीवन काल में उक्त आराजी को काश्त किया और ना ही उसके निधन के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को काश्त किया गया है । आंवटी देवलाल को नियम विरूद्ध आंवटन किया गया है आंवटित भूमि कभी रिक्त भूमि नही रही ना ही आंवटी को कभी कोई दखल उक्त भूमि पर दिया गया है, आंवटन से पूर्व निर्धारित प्रकिया नही अपनाई गई । आराजी ख0न0 398 की 4 बीघा भूमि गुराडखेडा से गोरधनपुरा जाने वाला लिंक रोड़ बीच में बना हुआ है, उक्त खसरा नम्बर पर कबीर पंथीयों का आश्रम बना हुआ है जो 50–60 वर्ष पुराना है व धर्मशाला बनी हुई है। उक्त आराजी के हिस्से पर प्रार्थी का बीड़ व बाड़ा बना हुआ है जिस पर पूर्वजों के जमाने से ही प्रार्थी का कब्जा है इसी तरह मोती आ0 नन्दा का बाड़ा बना हुआ है। उक्त आराजी पर कालूलाल आ0 मांगीलाल व अन्य कई लोगों के मकान बने हुए हैं तथा बापूलाल आ0 देवीलाल ने इसी आराजी पर कुआं खुदवा रखा है। उक्त भूमि पर होकर रास्ता निकलता है व उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की रही है। आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है आंवटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पो0 को तलब किया गया रेस्पो0 1,4 व 5 की और से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह पवांर का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए। रेस्पो0 2 व 3 के बावजूद सूचना उपस्थित नही रहने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका। इसी मध्य प्रकरण में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जो पत्रांक 647 दिनांक 04.06.2019 को प्राप्त हुई।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया गया कि आवंटन विधि के सिद्धान्तो 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के सर्वथा विपरित तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आवंटन निरस्त होने येाग्य है। आंवटी का आंवटित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा और ना ही उसके वारिसान का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। आराजी पर आंवटी को दखल भी नही दिया गया है। आंवटी द्वारा पट्टा फीस भी जमा नही करवाई गई है। आराजी ख0न0 398 की 4 बीघा भूमि गुराडखेडा से गोरधनपुरा जाने वाला लिंक रोड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

बीच में बना हुआ है, उक्त खसरा नम्बर पर कबीर पंथीयों का आश्रम बना हुआ है जो 50–60 वर्ष पुराना है व धर्मशाला बनी हुई है। उक्त आराजी के हिस्से पर प्रार्थी का बीड़ व बाड़ा बना हुआ है जिस पर पूर्वजों के जमाने से ही प्रार्थी का कब्जा है इसी तरह मोती आ0 नन्दा का बाड़ा बना हुआ है। उक्त आराजी पर कालूलाल आ0 मांगीलाल व अन्य कई लोगों के मकान बने हुए हैं तथा बापूलाल आ0 देवीलाल ने इसी आराजी पर कुआं खुदवा रखा है। उक्त भूमि पर होकर रास्ता निकलता है व उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की रही है। आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है आंवटन निरस्त किया जावे। व्यक्त किया गया कि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में अपील मेंमों की पुष्टी भी होती है। आरआरटी 2008(2)1433 प्रस्तुत की गई।

इस पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा व्यक्त किया कि दौराने सुनवाई अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 द्वारा व्यक्त किया गया कि आवंटी को किया गया आवंटन नियमानुसार किया गया है व उनके द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त भी की जा रही है। आंवटन 1980 में किया गया था और 38 साल बाद आंवटन खारिज हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है, आंवटी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न रिपोर्ट पटवारी पर खातेदारान के हस्ताक्षर नही है। अपील खारिज की जावे। आरआरटी 2016(2)पेज 756, आरआरटी 2016(2)पेज 769, आरआरटी 2014(2)पेज 1207, आरआरटी 2014(2)पेज 759, आरआरटी 2016(1)पेज 82, आरआरटी 2014(2)पेज 1256, की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि 14(4) के तहत आंवटित आराजी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा तय नही है। उक्त आराजी पर वक्त आंवटन से आज दिनांक तक कोई काश्त की गई हो तो गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई हैं । खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी आंवटन निरस्त किये जाने के प्रावधान है। आंवटन खारिज योग्य है खारिज किया जावे।

पेरोकार सरकार ने आवंटन को नियमानुसार सही बताया ।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। इस प्रकरण के मुख्य विवाद बिन्दु यह हैं कि क्या आंवटित आराजी पर आंवटी का कब्जा है? व आंवटन के 39 वर्ष पश्चात क्या आंवटन निरस्त किया जा सकता है?

प्रथम बिन्दु के क्रम में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में वादग्रस्त आराजी पर स्वंय के कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य,खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर दो सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत द्वारा बनवाये जाना व ग्रेवल सड़क का निर्माण 10 वर्ष पूर्व ग्राम पचांयत द्वारा करवाया जाना व वर्तमान में उक्त रास्ता चालू होना अंकन है। यदि उक्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का होता तो निश्चित रूप से किसी अन्य द्वारा उक्त आराजी पर बाडे, मकान,चाह,सामुदायिक भवन या ग्रेवल सड़क के निर्माण पर रेस्पोडेन्ट द्वारा इस बाबत किसी सक्षम अधिकारी से अनुतोष चाहे जाने बाबत प्रयास किये गये होते इस बाबत रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई है, उपरोक्तानुसार उक्त वादग्रस्त आंवटित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का निरन्तर कब्जा काश्त नही होना तथा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना साबित है ।

बिन्दु संख्या 2 की आंवटन के 39 वर्ष पश्चात क्या आंवटन निरस्त किया जा सकता है, के क्रम में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा कथन की खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात भी आंवटन निरस्त किया जा सकता है जिसके समर्थन में उनके द्वारा आरआरटी 2008(2)1433 प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत आरआरटी के दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू होते हैं क्यों कि उक्त दृष्टान्त में प्रश्नगत भूमि 1969 को आंवटित हुई थी, उक्त आंवटन को सम्बन्धित्र न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.1997 से निरस्त किया। हालॉकि आंवटन मिथ्या सूचना देने के आधार पर खारिज किया गया,परन्तु निर्णय से स्पष्ट है कि लंबे अंतराल पश्चात भी 14(4)के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

जिला कलक्टर,

इसी क्रम में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2014(2)पेज 1207 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर सं0 2032 से 2054 तक आंवटी का कब्जा काश्त होना साबित किया गया है। जबकि इस प्रकरण में आंवटी का निरन्तर कब्जा होना ही साबित नही है।

आरआरटी 2016(2)पेज 756 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होता है क्योंकि आंवटी को प्रश्नगत आराजी 1980 को आंवटित हुई थी व आवंटन पश्चात आंवटी द्वारा उक्त भूमि पर निरन्तर काश्त नही की गई प्रश्नगत भूमि पर रोड़ निकाले जाने,सामुदायिक भवन बनाये जाने व अन्य कृषकों द्वारा मकान बाड़े आदि बनाने के बावजूद कभी कोई आपत्ति नही की तथा आवंटन की शर्तो की भी पालना नही की गई इसमें अयुक्तियुक्त अवधि का कोई प्रश्न ही नही है।

आरआरटी 2016(2)पेज 769 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि सन्दर्भित निर्णयानुसार आंवटी को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत आंवटित भूमि प्रतिबन्धित भूमि "नदी" की भूमि के आंवटन से सम्बन्धित है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर नदी नही थी तथा दो दशक से ज्यादा के कब्जे के अविवादित प्रमाण थे। वर्तमान प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा आंवटित आराजी पर उसके कब्जे बाबात कोई प्रमाण पेश नही किए हैं तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कब्जा प्रतीत नही होता है।

आरआरटी 2016(2)पेज 82 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि सन्दर्भित प्रकरण में आंवटन के 7 वर्ष के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट दी कि ख0न0 157 पड़त भूमि नही थी जबकि उस ख0न0 में अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आंवटित की गई थी जबकि इस प्रकरण में आंवटी द्वारा आंवटन शर्तो की पालना नही करने के कारण आंवटित भूमि का मौके पर स्वरूप ही परिवर्तित हो जाने का मामला बनता है।

आरआरटी 2011(2)पेज 1205 के दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नही होते हैं क्यों कि सन्दर्भित प्रकरण में आंवटी व ग्राम वासियों के मध्य रास्ते सम्बन्धी विवाद के कारण अपील प्रस्तुत होना विदित है ।

आरआरटी 2014(2)पेज 759 के दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि सन्दर्भित प्रकरण में आंवटी का आंवटित भूमि पर कब्जा था तथा खसरा गिरदावरी में फसल होना दर्शाई गई जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई समवर्ती अवस्था नही है।

उपरोक्ता विवेचन से आंवटित आराजी पर आंवटी का कब्जा नही होने व आंवटन की शर्तो की पालना नही करने के कारण आंवटित भूमि का मौके पर स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है और इस प्रकार की जानकारी सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार से प्राप्त होने पर उक्त आंवटन को यथावत रखा जाना न्याय संगत नही है। अतः ग्राम गुराडखेड़ा की आराजी ख0न0 398 की 04 बीघा भूमि का आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.01.1980 को आवंटी देवलाल आ0 नन्दा हरिजन नि0 गुराडखेडा तहसील झालरापाटन को किया गया आंवटन निरस्त किया जाता है। चूंकि हमारी जानकारी में यह तथ्य आ चुके हैं कि उक्त आराजी पर चाह, सामुदायिक भवन व ग्रेवल सड़कं बनाये जा चुके हैं अतः उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने तथा बाकी भूमि पर जिन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के बाड़ा, मकान आदि बनाये गये हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार बकानी को निर्देशित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बकानी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़